UPBJ010052392026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी–(संजय कुमार–VII), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP1997

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः–2220/2026

विकास उर्फ अटरिया बनाम सरकार

मुकदमा अपराध संख्याः–428/2025

धारा–305(ए),61(2) बी0एन0एस0

थाना–नूरपुर, जनपद बिजनौर।

दिनांकः–10.07.2026

1– उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **विकास उर्फ अटरिया** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

2– उक्त जमानत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी देवेन्द्र सिंह द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि "दिनाँक 24.12.2025 व 25.12.2025 की मध्य रात्रि में वादी के घर पर अज्ञात चोरों द्वारा किमती आभूषण एवं 65,000/रुपये नकद व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जिनमें एफ0आई0डी0 भी थे, चोरी कर ले गये। वादी द्वारा कार्यवाही करने की याचना की गयी। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना नूरपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुई।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है। प्रार्थी मुजफ्फरनगर जेल में निरूद्ध है। अतः अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के घर कीमती आभूषण एवं 65,000/रुपये नकद व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी किये गये हैं। उक्त आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी के घर से कीमती आभूषण एवं 65,000/रुपये नकद व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कराने संबंधी आरोप आरोपित किये गये हैं। वर्तमान अभियुक्त मौके से गिरफ्तार नहीं है बल्कि सह–अभियुक्तगण के बयान के आधार पर उसे वर्तमान मामले में अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त का कोई दोषसिद्धि संबंधी पूर्व अपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध है। वर्तमान मामलें में

Digitally signed by SANJAY KUMAR
Date: 2026.07.10 16:02:05 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सह–अभियुक्तगण परमेश्वरी व जयवीर की जमानत दिनांक 14–05–2026 को व सह–अभियुक्तगण सतीश उर्फ गुलफाम व सौरभ की जमानत दिनांक दिनांक 08–06–2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है।

7– अतः समानता के आधार पर व अभियुक्तगण की जेल में निरूद्धता की अवधि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले के गुण दोष पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **विकास उर्फ अटरिया** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/–(पचास हजार)** रुपये के दो प्रतिभू व समान धनराशि का निजी बन्ध पत्र दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(संजय कुमार–VII)
सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।
10.07.2026